The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 4 | Issue 6 | June 2026
ISSN: 2583-973X (Online), SJIF IF(2026): 5.6
Website: www.theacademic.in

समावेशी विकास को नई दिशा प्रदान करता ग्रामीण भारतः 'विकसित भारत 2047 का दृष्टिकोण'

डॉ. आनंद कुमार त्रिपाठी

असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय लेंगड़ी गूलर, श्रावस्ती-271835, उत्तर प्रदेश।

tripathianand335@gmail.com

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.21477555

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Received: 14-05-2026

Accepted: 29-06-2026

Published: 15-07-2026

Keywords:

समावेशी विकास, ग्रामीण भारत, विकसित भारत 2047, सतत विकास लक्ष्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय, कृषि विकास।

ABSTRACT

'विकसित भारत 2047 दृष्टिकोण' का मुख्य उद्देश्य भारत को एक विकसित, समावेशी और सतत लक्ष्यों के अनुरुप निर्मित किया जाना है। चूंकि भारत की लगभग 65% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए समावेशी विकास की अवधारणा में ग्रामीण भारत की केन्द्रीय भूमिका है। समावेशी विकास से तात्पर्य एक ऐसे विकास मॉडल से है जिसमें समाज के सभी वर्गों विशेषकर गरीब, किसान, महिलायें, आदिवासी एवं वंचित समुदाय को विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। वर्तमान समय में ग्रामीण भारत, डिजिटल क्रांति, अवसंरचना विकास, वित्तीय समावेशन एवं स्थानीय स्वशासन के माध्यम से नए परिवर्तन अनुभव कर रहा है। यह शोधपत्र ग्रामीण भारत की वर्तमान स्थिति, समावेशी विकास की अवधारणा, सरकारी योजनाओं, चुनौतियों तथा विकसित भारत 2047 के सन्दर्भ में ग्रामीण विकास की संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

प्रस्तावना (Introduction)

भारत एक कृषि प्रधान एवं गाँवो का देश माना जाता रहा है जहाँ ग्रामीण समाज देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना का आधार माना जाता है। स्वतन्त्रता के बाद के वर्षों में भारत ने औद्योगीकरण, शहरीकरण और आर्थिक उदारीकरण के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति की है, किन्तु ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता आज भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है।

Disclaimer: The opinions, interpretations, conclusions, recommendations, analyses, and statements expressed in this research article are solely those of the author(s) and do not reflect the views, policies, or positions of the Publisher, Chief Editor, Editors, Editorial Board, Reviewers, or their affiliated institutions. The author(s) are solely responsible for ensuring the originality, authenticity, and integrity of the manuscript and for ensuring that it is free from plagiarism, AI-generated content, copyright infringement, data falsification, and any other form of academic misconduct.

भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत 'विकसित भारत 2047' की अवधारणा केवल आर्थिक विकास पर आधारित नहीं है, इसका उद्देश्य एक समावेशी, आत्मनिर्भर, न्यायपूर्ण एवं सतत भारत का निर्माण करना है। 'विकसित भारत 2047' अवधारणा में ग्रामीण भारत को विकास का केंद्र माना गया है क्योंकि अभी भी भारत की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।

तालिका 1: कुल राष्ट्रीय शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP) और कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी

वर्ष	NDP (%)	कार्यबल (%)
1970-71	62.4	84.1
1980-81	58.9	80.8
1993-94	54.3	77.8
1999-2000	48.1	76.1
2004-05	48.1	74.6
2011-12	46.9	70.9
2022-23	45	75.6

स्रोत - नीति आयोग रिपोर्ट एवं आर्थिक समीक्षा 2022-23

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि 1970-71 में ग्रामीण क्षेत्रों में देश के कुल कार्यबल का 84.1% कार्यरत था तथा शुद्ध राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद (NDP) का 62.4 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। समय के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की राष्ट्रीय आय में हिस्सेदारी तेजी से घटी है लेकिन कार्यबल के संदर्भ में घटने की दर काफी कम रहा है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, 2017-18 से 2022-23 तक भारत के कुल कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्से अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। यह हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 में 75.6% पहुँच गयी जो 2017-18 में 71.4% थी। ये आँकड़े दर्शाते हैं कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में देश की तीन-चौथाई प्रतिशत जनसंख्या कार्यरत है। कोरोना जैसे महामारी के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कार्यबल में वृद्धि यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्र समावेशिता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सर्वाधिक क्षमता रखता है और उस क्षेत्र की मजबूती देश को संकट से निकलने हेतु सक्षम बनाता है।

ग्रामीण भारत में गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, कृषि संकट तथा आधारभूत संरचना की अपर्याप्तता जैसी समस्याएँ लम्बे समय से मौजूद रही हैं। हालांकि हाल के वर्षों में डिजिटल इण्डिया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, जनधन योजना, स्वयं सहायता समूहों से सम्बन्धित योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना जैसे प्रयासों ने ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान की है।

समावेशी विकास की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे। यह अवधारणा सभी वर्गों और क्षेत्रों को विकास के समान लाभ प्रदान करने का लक्ष्य निश्चित करता है। केवल किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि को ही विकास का संकेतक नहीं माना जा सकता, जब तक कि गरीब

और वंचित समुदायों के जीवन स्तर में सुधार न हो। इसलिए विकसित भारत 2047 की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित की जा सकती है।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. समावेशी विकास की अवधारणा का विश्लेषण करना।
2. विकसित भारत 2047 के संदर्भ में ग्रामीण भारत की भूमिका का विश्लेषण करना।
3. ग्रामीण विकास से सम्बन्धित योजनाओं और नीतियों का अध्ययन करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान प्रमुख चुनौतियों का अध्ययन करना।
5. समावेशन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय शासन को सशक्त बनाने हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध प्रविधि

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है तथा इसमें द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। आंकड़ों के स्त्रोत के रूप में सरकारी रिपोर्ट, नीतिगत दस्तावेज, जनगणना आंकड़े, नीति आयोग एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के रिपोर्ट तथा विभिन्न शोधपत्र सम्मिलित हैं।

अवधारणात्मक रूपरेखा

समावेशी विकास का अर्थ ऐसी विकास प्रक्रिया से है जिसमें समाज का कोई भी वर्ग विकास की मुख्यधारा से बाहर न रह जाए। यह केवल आर्थिक वृद्धि का विषय नहीं है बल्कि यह विकास के न्याय एवं समानता पहलू से जुड़ा है। भारत में समावेशी विकास पर सर्वप्रथम प्रमुख रूप से चर्चा की शुरुआत तब हुयी जब 11वीं पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय विषय में समावेशी विकास को स्थान दिया गया। इसके पहले के वर्षों में भी समावेशी विकास के अन्य पहलुओं पर चर्चा होती रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास को सतत विकास के साथ जोड़ने का प्रयास वास्तव में समावेशी विकास की व्यापक एवं स्थिर दृष्टि को दर्शाता है।

हाल के वर्षों में, भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों द्वारा समावेशी विकास को बढ़ावा देने एवं विकास की प्रक्रिया को चिरस्थायी बनाने का प्रयास किया गया है। चूंकि ग्रामीण भारत में अभी भी भारत की दो-तिहाई से अधिक जनसंख्या वास करती है इसलिए सरकार की अधिक से अधिक योजनाओं और नीतियों का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास समावेशिता की अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। आयुष्मान भारत

योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, स्वच्छ भारत योजना आदि सभी योजनाओं का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में मानवीय विकास के सभी पक्षों पर बल देना रहा है।

विकास अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन मानते हैं कि विकास को वास्तविक स्वतन्त्रता के विस्तार के रूप में देखा जाना चाहिए। विकास क्षमताओं पर आधारित होता है। आर्थिक विकास अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। विकास का उद्देश्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता और स्वतन्त्रता बढ़ाना तथा वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। समावेशी विकास, विकास के मानवीय स्वरूप एवं सतत प्रकृति को साथ में लाकर ग्रामीण भारत को न्यूनतम लागत के साथ विकसित स्वरूप प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। विश्व में विकास की दार्शनिक समझ में हाल के वर्षों में परिवर्तन देखा गया है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है कि सतत सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति समाज के बड़े वर्ग या क्षेत्र को हाशिए पर रखकर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के विकास को इसीलिए समावेशिता के लक्ष्य का अनिवार्य अंग माना जा रहा है। 'विकसित भारत 2047' दृष्टिकोण इसी दृष्टि को पुष्ट करता है।

'विकसित भारत 2047' दृष्टिकोण भारत का दीर्घकालिक राष्ट्रीय विजन है जो भारत के स्वतन्त्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार भारत के विकसित स्वरूप की परिकल्पना करता है। यह दृष्टिकोण चार प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करता है- युवा, गरीब, महिला, और किसान। विकसित भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि देश की प्रगति का एक विस्तृत खाका है। यह दृष्टि समावेशी विकास के अनेक घटकों को समाहित करती है। 'अमृतकाल' में यह दृष्टिकोण भारत के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त का कार्य करेगा।

नागरिक केन्द्रित समावेशी विकास दृष्टिकोण के अन्तर्गत 'विकसित भारत 2047' दस्तावेज भौतिक, डिजिटल एवं सामाजिक अवसंरचना के विकास पर बल देता है। इस दृष्टिकोज में ग्रामीण भारत के उस विकास प्रक्रिया को रेखांकित किया गया है जिसमें सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। ग्रामीण भारत अभी भी जनसंख्या के दो-तिहाई भाग का निवास स्थान है जो सामाजिक विविधीकृत स्वरूप को भी सम्मिलित करता है। ग्रामीण भारत समावेशिता के लक्ष्य प्राप्ति का सर्वाधिक उचित एवं क्षमतावान गंतव्य है। इन क्षेत्रों में विकास गरीब, वंचित, महिला, एवं दिव्यांग आदि जैसे उन सभी वर्गों को विकास प्रक्रिया में सहभागी बनायेगा जो अभी तक इससे अलग-थलग रह गये हैं। इन क्षेत्रों में विकास कृषि क्षेत्र में प्रगति के माध्यम से समावेशिता के साथ लायी जा सकेगी।

ग्रामीण भारत की चुनौतियां

ग्रामीण भारत विकास की संभावनाओं से भरपूर है इसके बावजूद यह क्षेत्र विकास प्रक्रिया में पीछे रहा है। इसका कारण ग्रामीण भारत की कुछ चुनौतियां हैं जिनको आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल एवं आधारिक संरचना सम्बन्धी एवं शासन तथा संस्थागत चुनौतियों के रूप में वर्गीकृत करके देखा जा सकता है।

(क) अर्थिक चुनौतियां: कृषि क्षेत्र अभी भी ग्रामीण जीवन की रीढ़ बना हुआ है और ज्यादातर ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है। इसके बावजूद कम उत्पादकता एवं आधारभूत संरचना की कमी के कारण कृषि क्षेत्र कमजोर स्थिति में है। ग्रामीण भारत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और यहाँ के छोटे-मोटे उद्योग भी मूलतः कृषि आगतों पर ही निर्भर हैं। कृषि की मानसून पर निर्भरता और आधुनिक अवसंरचना की कमी, कृषि क्षेत्र में कम जोत आकार, तकनीकि का सीमित प्रयोग, संस्थागत ऋण की कमी, बाजार की अनिश्चितता, एवं फसल बीमा का न होना कृषि उत्पादन को अनिश्चित बनाता है। कृषि क्षेत्र का सीमित विविधीकरण और बाजार से कम जुड़ाव ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की वृद्धि को प्रतिबंधित करता है। कृषि क्षेत्र पर अशोक दलवई समिति ने यह सुझाव दिया था कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों को बढ़ाना है तथा मौसमी बेरोजगारी एवं अर्धबेरोजगारी से बचना है तो कृषि क्षेत्र का विविधीकरण इसका मार्ग होगा। कृषि क्षेत्र पर किया गया कार्य ग्रामीण क्षेत्रों की अन्य आर्थिक चुनौतियों यथा-ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर दबाव जनित पलायन आदि को भी सीमित करने हेतु प्रभावी होगा।

(ख) सामाजिक एवं सांस्कृतिक चुनौतियां: ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा शिक्षा एवं स्वास्थ्य अवसंरचना की कमी वहाँ के मानव विकास को प्रभावित कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा के अधिकार लागू होने के बाद भी अवसंरचना की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, ड्रॉप-आउट के अधिक अनुपात एवं डिजिटल शिक्षा अवसंरचना की कमी आदि समस्या से जूझ रहे हैं। इसी प्रकार, ग्रामीण स्वास्थय प्रणाली भी चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों की कमी, कमजोर अवसंरचना एवं विशेषीकृत सेवाओं की कमी के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है। ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की यह कमजोरी इन क्षेत्रों में उच्च मातृत्व एवं शिशु मृत्युदर, कुपोषण का कारण बनते हैं और मानव पूँजी को कमजोर बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह की कम आयु, पितृसत्तात्मक सोच, लैंगिक विभेद का संस्थागत स्वरूप आदि वे सांस्कृतिक चुनौतियों है जो इन क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास को प्रभावित करते हैं।

(ग) डिजिटल अवसंरचना चुनौतियां: ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना की कमी प्रगति के मार्ग में प्रमुख बाधा है। अपर्याप्त सड़क जुड़ाव, सीमित सिंचाई सुविधाएं, अनिश्चित विद्युत आपूर्ति और स्टोरेज अवसंरचना की कमी ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक वृद्धि और सेवा वितरण को बाधित करता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतराल असमानता बढ़ाने, सूचनाओं के सीमित पहुँच, वित्तीय समावेशन में बाधा, ऑनलाइन शिक्षा और ई-शासन तक सीमित पहुंच को बढ़ाने का कार्य करता है। इंटरनेट की कमजोर कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता की कमी ग्रामीण जनसंख्या को डिजिटल पहलों और प्रौद्योगिकी नवाचारों के लाभों से वंचित करता है।

(घ) शासन एवं संस्थागत मुद्दे: जमीनी स्तर पर शासन एवं संस्थागत कमजोरी भी ग्रामीण विकास की संभावना को बाधित करते हैं। पंचायती राज संस्थाएँ (PRI) संवैधानिक प्रावधान के बावजूद सीमित वित्तीय स्वायत्तता, अपर्याप्त प्रशासनिक क्षमता और पारदर्शिता की कमी आदि के कारण स्वशासन को प्रोत्साहन देने के अपने उद्देश्य की प्राप्ति

नहीं कर पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की कमजोर निगरानी एवं उत्तरदायित्व का अभाव कार्यों की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। नीति निर्माण एवं जमीन पर उसके क्रियान्वयन में अन्तर कल्याणकारी एवं अवसंरचनात्मक योजनाओं के प्रभाव को कम करता है और क्षेत्र में असमान विकास का कारण बनता है।

उपर्युक्त अन्तरसंबंधित चुनौतियों का समाधान समावेशी नीतियों एवं मानव तथा भौतिक पूँजी में सतत निवेश के माध्यम से किया जा सकता है, यह ग्रामीण भारत के रूपांतरण के लिए अनिवार्य है। समावेशी नीतियों, संस्थाओं को मजबूत करना एवं क्षेत्रगत असमानता कम करने हेतु विशेष प्रयास किया जाना आदि ऐसे प्रयास हैं जिनकी विस्तृत चर्चा 'विकसित भारत 2047' विजन रणनीति के अन्तर्गत की गई है। इस विज़न रणनीति में यह माना गया है कि समान क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण सशक्तीकरण राष्ट्रीय विकास के मूलभूत आधार है।

ग्रामीण विकेन्द्रीकरण द्वारा ग्रामीण शासन में सुधार

प्रभावी ग्रामीण शासन समावेशी एवं सतत विकास का मुख्य स्तम्भ है। यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से सम्बन्धित पहल स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल हो तथा नीति-निर्माण के संदर्भ में तृण-मूल स्तर पर लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन, 1992 ग्रामीण शासन में महत्वपूर्ण रुपान्तरण का कारण बना, जिसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान की गई। पंचायती राज संस्थाओं को शासन के तृतीय स्तर के रूप में मान्यता प्रदान की गयी। 73वां संविधान संशोधन इस उद्देश्य के साथ लाया गया कि यह नियमित चुनाव की व्यवस्था, महिला एवं सीमान्त वर्गो हेतु आरक्षण और स्थानीय स्वशासन के माध्यम से लोकतन्त्र को अधिक गहरा करेगा। यह माना गया था कि योजना के निर्माण, क्रियान्वयन और देखरेख में स्वशासन संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। 'विकसित भारत 2047' विजन के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती को ग्रामीण विकास की अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया गया है।

समावेशी ग्रामीण विकास के आर्थिक एवं सामाजिक विकास मार्ग

ग्रामीण भारत के अंतर्गत कृषि अभी भी जीवन निर्वाह संसाधनो हेतु रीढ़ की भूमिका अदा कर रहा है और खाद्य सुरक्षा एवं रोजगार हेतु महत्वपूर्ण है। 'विकसित भारत 2047' विजन के अन्तर्गत, कृषि को न केवल अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्र के रूप में रूपान्तरित करना है बल्कि कृषि क्षेत्र को अधिक संपोषणीय, विविधीकृत, और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली के रूप में निर्मित करना है जो किसानों के लिए स्थिर आय सुनिश्चित कर सके। विजन में कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु एक मुख्य रणनीति फसल विविधीकरण को अपनाए जाने की बात की गई है जैसे कि दालें, तिलहन, फल, सब्जियां, एवं बागवानी आदि फसलों के उच्च उत्पादन हेतु कार्य करना। फसल विविधीकरण से आय जोखिम को कम करेगा, मृदा स्वास्थय को बढ़ायेगा, और बाजार मांग तथा पोषनीय आवश्यकता में परिवर्तन के हिसाब से कृषि उत्पादन में सामंजस्य तय करेगा।

'विकसित भारत 2047' विजन में समावेशी ग्रामीण विकास के एक अवयव के रूप में किसान उत्पादक संगठनों (FPO's) को प्रोत्साहित करना स्वीकार किया गया है। FPO's को प्रोत्साहन लघु एवं सीमान्त किसानों को अपने उत्पादों के समग्रीकरण, बेहतर आगतों तक पहुँच, और बाजार में मजबूत सौदेबाजी लाभ हेतु सक्षम बबनाएगा। विजन में डिजिटल यन्त्र एवं कृषि तकनीकि यथा- मोबाइल आधारित सलाह सेवाएँ, उपग्रह आधारित आँकड़े, मौसम अनुमान, मृदा एवं फसल निगरानी आदि से अन्ततः कृषि उत्पादन एवं कृषकों की आय में वृद्धि के लिए कार्य करने की चर्चा की गई है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, जल संरक्षण विधियाँ, और जलवायु आधारित स्मार्ट कृषि व्यवहार उत्पादन स्तर को स्थिर रखने और जलवायु प्रेरित सूखे एवं बाढ़ से किसान को सुरक्षित रखते हैं।

PM-KISAN एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाएँ क्रमशः किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए हानि से सुरक्षा मुहैया कराती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना संतुलित एवं वैज्ञानिक उर्वरक प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। समग्र रूप में उपर्युक्त सभी पहल अधिक समावेशी एवं लचीले कृषि क्षेत्र का निर्माण करते हैं। विकसित भारत रूपरेखा के अन्तर्गत कृषि रुपान्तरण समावेशी ग्रामीण विकास का मुख्य चालक है।

सामाजिक विकास को 'विकसित भारत 2047' रुपरेखा के अन्तर्गत सतत एवं समावेशी ग्रामीण रुपान्तरण का आधार माना गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा एवं सामाजिक समावेशन, मानव समताओं को सुधारने, असमानताओं को कम करने, और ग्रामीण जनसंख्या की विकास प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मानव पूँजी निर्माण और सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता का मुख्य आधार है। ग्रामीण भारत में अपर्याप्त अवसंरचना, शिक्षकों की कमी, और बीच में पढ़ाई छोडना आदि विद्यमान चुनौतियों के कारण शिक्षा पहुँच एवं अधिगम परिणाम में सुधार अभी भी प्राथमिक उद्देश्य है। समग्र शिक्षा अभियान जैसे पहलों ने ग्रामीण भारत में माध्यमिक शिक्षा स्तर तक स्थिति में सुधार किया है। डिजिटल लर्निंग कार्यक्रमों के विस्तार एवं कौशल विकास मिशन ने ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्राप्त कर सकने वाले कौशल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यबलों की उत्पादकता बढ़ाने और कल्याण में सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं वहनीय स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य है। आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार करने का प्रयास कर रही है। टेलीमेडिसिन सेवाएँ, ग्रामीण मरीजों का स्वास्थ्य विशेषज्ञो तक पहुँच, यात्रा व्यय को घटाने और इलाज में देरी न होने जैसे उद्देश्यों को एक साथ पूर्ण करती है। इन सबके बावजूद अपर्याप्त अवसंरचना, प्रशिक्षित चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की कमी, सेवाओं की समरूपता का अभाव, और सीमित स्वास्थय जागरुकता जैसी चुनौतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है।

सामाजिक समावेशन, विकास प्रक्रिया की गुणवत्ता एवं न्यायोचितता को बढ़ाता है। समावेशी विकास, जिसके अन्तर्गत सभी वर्गों, क्षेत्रों, एवं समूहों की भागीदारी विकास प्रक्रिया में तय की जाए, सामाजिक समावेशन का आधार है। समावेशन हेतु सरकार की आरक्षण, प्रोत्साहन, एवं अन्य नीतियों के अलावा महिलाओ के समूहों के साथ स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा किया गया कार्य सामाजिक समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

'विकसित भारत 2047' दृष्टिकोण में सामाजिक विकास के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा एवं सामाजिक समावेशन को विस्तृत रूप से शामिल किया गया है। इस विजन में शिक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु 2047 तक नागरिक आवश्यकताओं के अनुरूप अवसंरचना विकास एवं नवाचार की आवश्यकता का विश्लेषण किया गया है। सामाजिक समावेशन की आवश्यकता और विकसित भारत के लिए सभी असमानताओं को खत्म करने के स्तर तक कम करने के लिए 'विकसित भारत 2047' विजन में नीतियों पर चर्चा की गई है। डिजिटल रुपान्तरण और ग्रामीण अवसंरचना विकास ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास का एक अवयव है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण योजना जैसे लाभार्थियों को सीधे डिजिटल माध्यम से जोड़कर कार्यक्रमों का लाभ प्रदान कर सकती है। यह हाल के वर्षों में इस योजना की सफलता ने प्रदर्शित किया है।

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुँच को बढ़ावा दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का 'लोकवाणी' कार्यक्रम लोगों तक सरकारी सेवाओं के पहुँच को बढ़ाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। 'विकसित भारत 2047' विजन में डिजिटल रुपान्तरण और ग्रामीण अवसंरचना की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भविष्य में डिजिटल अर्थव्यवस्था हेतु कार्य किए जाने हेतु नीतियों पर जोर दिया गया है।

समावेशी ग्रामीण विकास लक्ष्य के मार्ग में चुनौतियां

समावेशी ग्रामीण विकास, विकसित भारत के लिए अनिवार्य शर्त है। लेकिन समावेशी ग्रामीण विकास को प्राप्त करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस चुनौतियों में प्रमुख हैं- असंतुलित क्षेत्रीय विकास, अवसंरचना की कमी, डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी अंतराल, स्थानीय स्तर पर वित्तीय अवरोध, क्रियान्वयन और निगरानी तंत्र की कमजोर प्रणाली, पर्यावरणीय एवं जलवायु जोखिम, एवं स्थानीय स्वाशासन संस्थाओ की संस्थागत कमजोरी आदि।

उपर्युक्त सभी चुनौतियां समावेशी ग्रामीण विकास के उद्देश्य प्राप्ति में बाधक हैं। उद्देश्य प्राप्ति के लिए इन सभी चुनौतियों पर कार्य करना होगा। 'विकसित भारत 2047' विजन दृष्टिकोण में समावेशी ग्रामीण विकास को विकसित भारत हेतु अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार करते हुए इनके मार्ग में आ रही चुनौतियों को सीमित करने हेतु

विभिन्न नीतियों पर चर्चा की गयी है। विजन दृष्टिकोण में यह स्वीकार किया गया है कि ग्रामीण विकास को समावेशी स्वरूप प्रदान करने हेतु उन सभी चुनौतियों से निपटना होगा जोकि इनके मार्ग में बाधा है। किसानों की आय का दोहरीकरण, कृषि विविधीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास, पिछड़े क्षेत्रों हेतु विशेष नीतियां, प्रदाता प्रणाली में सुधार, एवं स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता आदि विकसित भारत के अन्तर्गत समावेशी ग्रामीण भारत के निर्माण में सहायक हो सकते है।

निष्कर्ष

'विकसित भारत 2047' विजन में भारत की विकास यात्रा में ग्रामीण भारत को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। समावेशी ग्रामीण विकास केवल आर्थिक संवृद्धि की आवश्यकता नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, ग्रामीण शासन की मजबूती, कृषि का रुपान्तरण, मानव विकास, तथा अवसंरचनात्मक एवं डिजिटल विकास हेतु पोषणीय तत्व है। विकसित भारत 2047 की परिणति तभी हो सकती है जब ग्रामीण भारत समावेशी प्रकृति के विकास को सुनिश्चित कर पाए। ग्रामीण भारत की भूमिका केवल लाभार्थी की ही नहीं बल्कि विकास के प्रमुख प्रेरक की भी है। यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल तकनीकि, कौशल विकास, उद्यमिता और सामाजिक न्याय के माध्यम से सशक्त बनाना अनिवार्य होगा।

शोध अध्ययन से स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षो में ग्रामीण अवसंरचना, वित्तीय समावेशन, डिजिटल सेवाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों तथा स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। लेकिन फिर भी क्षेत्रीय असमानताएँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थय सेवाओं की कमी, डिजिटल विभाजन, एवं ग्रामीण युवाओं का पलायन जैसी चुनौतियां अभी भी समावेशी ग्रामीण विकास के मार्ग में बाधा है। इन चुनौतियों का समाधान सरकारी प्रयासों के साथ साथ सहभागी शासन, सामुदायिक भागीदारी, निजी क्षेत्र का सहयोग, तथा स्थानीय नवाचारों के माध्यम से ही संभव है।

ग्रामीण भारत का भविष्य केवल कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि-आधारित उद्योगों, ग्रामीण उद्यमिता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, एवं स्थानीय संसाधनों आदि पर आधारित विकास मॉडल में निहित है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को पर्याप्त स्वायत्तता, कौशल विकास पर जोर, और महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन आदि उपाय ग्रामीण क्षेत्रों को भारतीय अर्थव्यवस्था को केन्द्रबिन्दु बना सकता है। अंततः विकसित भारत 2047 की वास्तविक चित्र का निर्माण समावेशी, सतत एवं न्यायपूर्ण ग्रामीण विकास मॉडल से किया जा सकता है। विकसित भारत 2047 विजन दस्तावेज इस वास्तविकता को अपने नीतिगत सुझावों के माध्यम से प्रकट करता है।

संदर्भ

Government of India (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Education.

Government of India (2026). Annual Report 2025-26. Ministry of Rural Development.

NITI Aayog (2017). Discussion Paper on 'Changing Structure of Rural Economy of India'. Implications for employment and growth (Nov. 2017), Government of India.

NITI Aayog (2023). Viksit Bharat@2047, vision document. Government of India.

Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.

UNDP (2025). Annual Report 2025.